न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–78 / 2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः–14.07.2023

उनवान– 1. बेनीप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति कोली निवासी दीवान का बाग राजगढ तह. राजगढ जिला अलवर
2. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी वीरपुर तह. राजगढ जिला अलवर
3. हरदेवा पुत्र लक्ष्मणराम जाति बैरवा बडला तह. राजगढ जिला अलवर

बनाम

1. रामकिशन पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा नि. वीरपुर तह. राजगढ जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तह. बसवा
3. प्रबन्धक, केनरा बैंक, शाखा बॉदीकुई
4. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बिवाई जिला दौसा

दावा बाबत– तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–78 / 2022 सन्–2022

निर्णय दिनांक 14.07.2023

वादीगण द्वारा वादपत्र दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया कि भूमि खाता संख्या नया 101 पुरानी 86 के आराजी खसरा नं. 93, 95 एवं 96 कुल किता–03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट. ग्राम श्यालावासकलॉ तहसील बांदीकुई में स्थित है। वादीगण भूमि उपरोक्त के सहखातेदार है। भूमि मुतदाविया में वादी सं. 01 का 125/506 वां हिस्सा, वादी सं. 02 का 1/2 हिस्सा, वादी सं. 03 का 125/506 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 01 का 3/506 वां हिस्सा है। भूमि मुतदाविया को पक्षकारान ने मौके पर अपनी–अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा है वादीगण अपने हिस्से की भूमि जिस पर काबिज काश्त हैं। लेकिन भूमि विवादित का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। बिना विधिवत तकास्मा हुये पक्षकारान में भूमि में फसल बोते समय व काटते समय आपस में विवाद हो जाता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 से अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमि का विधिवत तकास्मा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया तथा कहा कि मैं तो बिना तकास्मा करवाये ही वादीगण को उनके हिस्से व अधिकारात की भूमि से बेदखल कर नाजायज कब्जा करके रहूँगा तथा दीगर लोगों को बेचान करके रहूँगा तथा काश्त नहीं करने दूँगा। अतः निवदेन है कि भूमि मुतदाविया का हिस्सेनुसार, विधिवत तकास्मा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन की गई। प्रतिवादी सं. 01 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये, ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। अतः प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 101 पुरानी 86 के आराजी खसरा नं. 93, 95 एवं 96 कुल किता–03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट. ग्राम श्यालावासकलॉ तहसील बांदीकुई स्थित राजस्व जमाबन्दी संवत 2073–76 दर्ज है। जो राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का अधिकारात प्राप्त होने से वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया। तथा तहसीलदार बॉदीकुई को भूमि खाता संख्या नया 101 पुरानी 86 के आराजी खसरा नं. 93, 95 एवं 96 कुल किता–03 कुल रकबा 2.53 हैक्ट. ग्राम श्यालावासकलॉ तहसील बांदीकुई जिला दौसा का राजस्व जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हिस्सानुसार

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

जहाँ तक संभव हो कब्जानुसार, सरस नरस, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका विभाजन प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 927 दिनांकः 21.03.2023 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का वादीगण वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

			वर्तमान कुरैजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
0 0	नाम ग्राम	खाता सं0	कम सं.	नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
	श्यालावास कलॉ	101	1.	बेनीप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति कोली सा. दीवान का बाग (राजगढ) राहिन केनरा बैंक बॉदीकुई	93/2 मि.	0.6151 हैक्ट.
			2.	बाबूलाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा सा. वीरपुर तह. राजगढ राहिन पी.एन.बी. बैंक बिवाई	95 96 93/5 मि.	0.06 हैक्ट. 1.01 हैक्ट. 0.1750 हैक्ट.
				योग	किता–03	1.2450 हैक्ट.
			3.	रामकिशन पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा सा. वीरपुर तह. राजगढ खातेदार	93/1 मि.	0.0148 हैक्ट.
			4.	हरदेवा पुत्र लक्ष्मणराम जाति बैरवा सा. बडला तह. राजगढ राहिन केनरा बैंक शाखा बॉदीकुई	93/3 मि.	0.6151 हैक्ट.
			5.	शामिल (रास्ता हेतु) नाम खातेदार व हिस्सा मु. जमाबंदी हाल	93/4	0.04 हैक्ट.

कुरैजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ना करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बॉदीकुई (दौसा)
(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with CamScanner